राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(51) ग्राविवि–5/PMAY-/प्रगति/पार्ट–I/2019–20 जयपुर, दिनांक 23 जून, 2020

जिला कलक्टर,
जिला टोंक, राजस्थान।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत अतिरिक्त चिन्हित वंचित पात्र परिवारों का आधार विवरण मय सहमति पत्र आवाससॉफ्ट पर अपलोड करने बाबत।

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 6.5.20, 18.05.20, 27.05.20, 28.05.20, 03.06.20, 08.06.20, 10.06.20 व 16.06.20 एवं अ.शा. पत्र दिनांक 11.06.20।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों एवं माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 21.5.2020 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची (PWL) में किसी कारणवश शामिल नहीं हो सके अतिरिक्त चिन्हित पात्र परिवार जिनका विवरण मोबाइल एप्लीकेशन "आवास प्लस" पर दर्ज है, का आधार विवरण मय सहमति पत्र आवास सॉफ्ट पर दिनांक 15.06.2020 तक अपलोड करने हेतु निर्देशित कर किया गया था। इसी क्रम में पुनः पत्र दिनांक द्वारा 16.06.20 द्वारा उक्त कार्य हेतु निर्धारित अवधि को दिनांक 25.06.2020 तक बढाया गया ।

उक्त सभी प्रयासो के उपरान्त भी आज दिनांक 22.06.2020 को प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि आपके जिले के **7537** अतिरिक्त चिन्हित वंचित पात्र परिवारो की आधार सीडिंग बकाया है एवं जिले द्वारा **3069** ऐसे प्रकरण विभाग प्रेषित किये गये है जिनमें मृत्यु/विवाह आदि कारणों से आधार सीडिंग संभव नहीं होना बताया है। उक्तानुसार निर्धारित दिनांक 25.06.2020 के सापेक्ष आदिनांक की प्रगति से स्पष्ट है कि जिले द्वारा इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया गया है, जो कि खेदजनक है।

साथ ही समीक्षा के दौरान जिलों द्वारा ध्यान में लाया गया है कि अतिरिक्त चिन्हित पात्र परिवारों के चिन्हीकरण के उपरांत परिवार द्वारा पक्का आवास निर्माण या अन्य 13 मापदण्डों की शर्त की पालना नहीं करने के कारण कुछ परिवार अपात्र हो गये है। ऐसे परिवारो की सूची भी पूर्व निर्धारित प्रपत्र अ के अनुसार ही अलग से प्रपत्र स में तैयार कर विभाग को प्रेषित करावें एवं शत प्रतिशत आधार सीडिंग दिनांक 25.06.2020 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

अन्यथा की स्थिति में आवास प्लस एप पर दर्ज कोई भी अतिरिक्त चिन्हित वंचित पात्र परिवार आधार सीडिंग के कारण योजनान्तर्गत लाभ से वंचित रहता है तो संबंधित अधिकारी /कार्मिक जिम्मेदार होंगे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि, राजस्थान, जयपुर।
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

C:\Users\user\Downloads\New letters dt 18-03-20.docx102